प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय,बिलासपुर

विविध याचिका क्षतिपूर्ति सं 1692/2018

1. श्रीमती. इंदु भारद्वाज पति स्वर्गीय राजीव भारद्वाज, 43 वर्ष, निवासी एल –7,श्री पांडे का मकान, विनोबा नगर, पुलिस थाना तरबहार, तहसील तथा जिला–बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

2. कुमारी दिव्या भारद्वाज पिता स्वर्गीय राजीव भारद्वाज , 19 वर्ष, निवासी एल –7,श्री पांडे का मकान, , विनोबा नगर, पुलिस थाना तरबहार, तहसील तथा जिला–बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

3. मोहित भारद्वाज पिता स्वर्गीय राजीव भारद्वाज,15 वर्ष, विधिक संरक्षक माता इंदु भारद्वाज (अपीलकर्ता संख्या 1) के द्वारा, निवासी एल–7, श्री पांडे का मकान, विनोबा नगर, पुलिस थाना तरबहार, तहसील तथा जिला–बिलासपुर, छत्तीसगढ़

4. रोहित भारद्वाज पिता स्वर्गीय राजीव भारद्वाज , 21 वर्ष,निवासी एल–7, श्री पांडे का मकान, विनोबा नगर, पुलिस थाना तरबहार, तहसील तथा जिला–बिलासपुर, छत्तीसगढ़।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

---अपीलकर्ता

बनाम

1. प्रदीप कुमार @मुन्ना सिंह पिता एल. पी सिंह, 45 वर्ष निवासी वार्ड संख्या 4, भवन नगर, सिरगिट्टी, पुलिस थाना सिरगिट्टी, तहसील तथा जिला–बिलासपुर, छत्तीसगढ़।(मोटरसाइकिल चालक नं. **CG-10, EP**–7948)

2. आई.सी.आई.सी.. लोम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड डिवीजनल मैनेजर के द्वारा, कार्यालय वाणिज्य भवन ग्राउंड फ्लोर देवेंद्र नगर रोड रायपुर, जिला–रायपुर, छत्तीसगढ़(मोटरसाइकिल का बीमाकर्ता नं. **CG-10, EP**-7948)

---उत्तरवादीगण

अपीलकर्तागण हेतु :श्री राघवेंद्र वर्मा, अधिवक्ता

उत्तरवादी संख्या 2 हेतु :श्री अनिमेष पाठक, अधिवक्ता, की ओर से श्री अमृत दास, अधिवक्ता

माननीय श्री संजय कुमार जयसवाल,न्यायाधीश

पीठ पर आदेश

02 .0 4 .2025

1. यह अपील तृतीय अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण, बिलासपुर (छ.ग.) द्वारा दावा प्रकरण क्रमांक 540/2015 में पारित दिनांक 25.11.2017 के निर्णय से उत्पन्न हुई है, जिसमें अपीलार्थी/दावेदारों को उनकी अपूरणीय क्षति के लिए आवेदन की तिथि से उसकी वसूली तक 6% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित 18,85,164/– रुपए का क्षतिपूर्ति दिए जाने का आदेश दिया गया है।

2. दावा याचिका में संक्षेप में यह कथन है कि 03.07.2015 को जब मृतक राजीव भारद्वाज अपनी एक्टिवा पर सवार होकर नर्मदा कोल्ड ड्रिंक, सिरगिट्टी, बिलासपुर जा रहे थे, तो उत्तरवादी क्रमांक 1 ने अपनी मोटरसाइकिल जिसका रजिस्ट्रेशन क्रमांक सी.जी. 10 ईपी 7948 था, को तेजी और लापरवाही से चलाते हुए एक्टिवा को टक्कर मार दी, जिसके परिणामस्वरूप मृतक राजीव भारद्वाज को गंभीर चोटें आईं और अपोलो अस्पताल, बिलासपुर में उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गई।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3. दावा किया गया कि दुर्घटना के समय राजीव भारद्वाज की आयु लगभग 47 वर्ष थी और वह नर्मदा ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड, सिरगिट्टी में अकाउंटेंट के रूप में कार्य करते हुए 12,800/– रुपये प्रति माह कमा रहे थे। उनकी आकस्मिक मृत्यु के कारण अपीलकर्ता/दावेदारों, जो मृतक की पत्नी और बच्चे हैं, को अपूरणीय क्षति हुई है। अतः , दावेदारों ने न्यायाधिकरण के समक्ष एक आवेदन प्रस्तुत किया जिसमें कुल 63,00,000/– रुपये के क्षतिपूर्ति का दावा किया गया।

4. विद्वान न्यायाधिकरण ने अभिलेख पर लाए गए साक्ष्यों और दस्तावेजों पर विचार करने के बाद मृतक की आय ईपीएफ के लिए 756 रुपये और ईएसआई के लिए 110 रुपये की कटौती के बाद 11,934 रुपये प्रति माह माना गया। मृतक की आयु 47 वर्ष मानते हुए, आय का 1/4 हिस्सा व्यक्तिगत खर्चों के लिए घटाया गया और 13 के गुणक को लागू करते हुए, आश्रितता की कुल हानि 18,15,164 रुपये हुई। इसके अलावा, अन्य मदों के तहत कुल 70,000 रुपये की राशि दी गई। तदनुसार, न्यायाधिकरण ने आवेदन की तारीख से इसकी वसूली तक 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज के साथ दावेदारों के पक्ष में कुल 18,85,164 रुपये का क्षतिपूर्ति दिया।अतः, यह अपील प्रस्तुत की गई है ।

5. अपीलकर्ता/दावेदारों के विद्वान अधिवक्ता ने प्रस्तुत किया कि न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया क्षतिपूर्ति कम है और इसे उचित रूप से बढ़ाने की आवश्यकता है। उन्होंने प्रस्तुत किया कि न्यायाधिकरण ने मासिक आय

का आकलन करते समय मृतक की सकल आय से ईपीएफ और ईएसआई के लिए गलत तरीके से 756 रुपये और 110 रुपये की कटौती की है। अपने तर्क के समर्थन में, **उन्होंने श्रीमती किशोरी पाठक और अन्य बनाम लुडारू राम मौर्य और अन्य (एआईआर ऑनलाइन 2020 छः 921)** के प्रकरण में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय पर भरोसा किया।उन्होंने आगे कहा कि न्यायाधिकरण ने अन्य मदों के तहत कम क्षतिपूर्ति दिया है, जिसे भी उचित रूप से बढ़ाने की आवश्यकता है। इस प्रकार, उचित रूप से क्षतिपूर्ति बढ़ाकर अपील को स्वीकार करने की प्रार्थना की।

6. दूसरी ओर, उत्तरवादी बीमा कंपनी के वकील की ओर से तर्क दिया गया कि मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया क्षतिपूर्ति न्यायसंगत और उचित है और इसमें और वृद्धि की आवश्यकता नहीं है।

7. पक्षों के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया तथा अभिलेख का अवलोकन किया गया।

8. मोटर दुर्घटना दावा प्रकरण में, यह महत्वपूर्ण है कि न्यायालयों/न्यायाधिकरणों द्वारा दिया जाने वाला क्षतिपूर्ति प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार उचित और न्यायसंगत होना चाहिए। यह न तो क्षतिपूर्ति की मामूली राशि होनी चाहिए, न ही कोई बोनस।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

9. अब यह न्यायालय इस बात की जांच करेगा कि न्यायाधिकरण द्वारा दिया गया क्षतिपूर्ति प्रकरण के दिए गए तथ्यों और परिस्थितियों के अनुसार उचित और न्यायसंगत है या नहीं।

10. साक्ष्यों से स्पष्ट है कि मृतक नर्मदा ड्रिंक्स प्राइवेट लिमिटेड, सिरगिट्टी में अकाउंटेंट के पद पर कार्यरत था तथा वेतन प्रमाण पत्र एक्स. ए–15 के अनुसार उसकी सकल आय 12,800/– रुपए प्रतिमाह थी। हालांकि, सकल आय में से 756 रुपए तथा 110 रुपए ईपीएफ एवं ईएसआई भत्ते की कटौती के पश्चात न्यायाधिकरण ने मृतक की आय 11,934 रुपए प्रतिमाह मानी है, जिसके आधार पर क्षतिपूर्ति की गणना की गई है।

11. उक्त कटौती विमल कंवर एवं अन्य बनाम किशोर दान एवं अन्य के मामले में निर्धारित सिद्धांतों के विरुद्ध प्रतीत होती है, जिसकी रिपोर्ट (2013) 7 एससीसी 476 में की गई थी, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने यह अभिनिर्धारित किया था कि दावेदारों द्वारा प्राप्त पीएफ, पेंशन, बीमा की राशि आर्थिक लाभ कहलाने के लिए एम.वी. अधिनियम की परिधि में नहीं आती है, इसलिए, वे राशियां कटौती के लिए उत्तरदायी नहीं हैं। उक्त निर्णय के सुसंगत कंडिका इस प्रकार हैं:

"18. पहला विवाद्यक यह है कि "क्या दावेदारों द्वारा प्राप्त भविष्य निधि, पेंशन और बीमा मोटर वाहन अधिनियम की परिधि में आते हैं, जिन्हें कटौती के लिए उत्तरदायी 'आर्थिक लाभ' कहा जाता है।"

19. हेलेन सी. रेबेलो बनाम महाराष्ट्र एसआरटीसी, (1999) 1 एससीसी 90 में इस न्यायालय के समक्ष उपरोक्त विवाद्यक विचारार्थ आया।उक्त प्रकरण में, इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि भविष्य निधि, पेंशन, बीमा और इसी तरह कोई भी नकदी, बैंक बैलेंस, शेयर, सावधि जमा आदि, सभी एक व्यक्ति की मृत्यु के

कारण उत्तराधिकारियों द्वारा प्राप्त होने वाला "आर्थिक लाभ" है, लेकिन इन सभी का केवल आकस्मिक मृत्यु के कारण किसी क़ानून के तहत प्राप्त होने वाली राशि से कोई संबंध नहीं है।ऐसी राशि मोटर वाहन अधिनियम की परिधि में नहीं आएगी, जिसे कटौती के लिए उत्तरदायी "आर्थिक लाभ" कहा जा सके।"

12. माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने **श्रीमती किशोरी पाठक (सुप्रा)** के प्रकरण में "आदिवासी भत्ता", "मकान किराया भत्ता" और "जल शुल्क" को आय का हिस्सा मानते हुए, कंडिका 13 में निम्नानुसार यह अभिनिर्धारित किया है:---

"इस प्रकार कानून के पूर्वोक्त स्थापित सिद्धांतों से यह स्पष्ट है कि आयकर, पेशेवर कर और कोई अन्य योगदान जैसी वैधानिक कटौती जो नियोक्ता द्वारा वापस नहीं की जा सकती है, आश्रितता के लिए मुआवजे की राशि की गणना करने के लिए मासिक आय का निर्धारण करते समय मृतक व्यक्ति के वेतन से काटी जा सकती है। उक्त पृष्ठभूमि को देखते हुए, न्यायाधिकरण द्वारा मृतक के वेतन से उसकी आय का हिस्सा बनने वाले "आदिवासी भत्ता", "मकान किराया भत्ता" और "जल शुल्क" के लिए 500/- रुपये, 445/- रुपये और 30/- रुपये की राशि काटने के रूप में की गई कटौती, इस प्रकार, खारिज किए जाने योग्य थी और इसे अपास्त किया जाता है।तदनुसार, क्षतिपूर्ति की राशि निर्धारित करने के प्रयोजन के लिए न्यायाधिकरण ने मृतक की मासिक आय 18,860/- रुपये माना गया।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. ईपीएफ और ईएसआई की राशि कर्मचारियों के वेतन से भविष्य में कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लाभ के लिए निवेश/बचत के लिए काटी जाती है। यह उनकी आय का एक हिस्सा है और उक्त राशि ब्याज सहित वापसी योग्य है। अतः माननीय सर्वोच्च न्यायालय के उपरोक्त निर्णयों के आलोक में मृतक की मासिक आय का निर्धारण करते समय उक्त राशि को सकल आय से नहीं काटा जा सकता है। अतः मृतक की आय रु.12,800/- रुपये प्रति माह मानी जाती है।

14. **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी एवं अन्य (2017) 16 एससीसी 680 के अनुसार,** भविष्य की संभावनाएं आय का 30% होंगी, जैसा कि न्यायाधिकरण द्वारा उचित रूप से निर्धारित किया गया है।दुर्घटना के समय मृतक की आयु लगभग 47 वर्ष थी। 4 दावेदार हैं जो मृतक की पत्नी और बच्चे हैं, इसलिए व्यक्तिगत व्यय के लिए कटौती आय का ¼ भाग होगी, जैसा कि न्यायाधिकरण द्वारा उचित रूप से निर्धारित किया गया है।सरला वर्मा (श्रीमती) एवं अन्य बनाम दिल्ली परिवहन निगम एवं अन्य (2009) 6 एससीसी 121, **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम प्रणय सेठी एवं अन्य (2017) 16 एससीसी 680 और मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम नानू राम @ चुहरू राम एवं अन्य (2018) 18 एससीसी 130 में** माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णयों के आलोक में, क्षतिपूर्ति की गणना निम्नानुसार की जा रही है:---

सरल क्र	विवरण	गणना

1	मृतक की मासिक आय	12800
2.	भविष्य की संभावनाएँ (आय का 30 प्रतिशत)	3840
,	कुल	16640
4	वार्षिक आय	16640 x 12 = 199680
5	व्यक्तिगत खर्च (आय का एक चौथाई)	49920
6	शुद्ध आय	149760
7	निर्भरता का कुल नुकसान (13 का गुणक लागू करना)	149760 x 13 = 1946880
8	अंतिम संस्कार का खर्च	15000
9	संपत्ति का नुकसान	15000
	10. पति–पत्नी संघ तथा प्रेम तथा संबंध (प्रत्येक दावेदार को रु.40,000)	40000 x 4 = 160000
	कुल क्षतिपूर्ति	रु.21,36,880

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15. इस प्रकार, कुल क्षतिपूर्ति राशि 21,36,880/– रुपये के रूप में पुनर्गणित की जाती है, जिसमें से न्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित 18,85,164/– रुपये की कटौती के बाद, वृद्धि 2,51,716/– रुपये होगी।

16. तदनुसार, अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है।दावेदार, दावा न्यायाधिकरण द्वारा पहले से निर्धारित राशि के अतिरिक्त 2,51,716/– रुपये की बढ़ी हुई राशि के हकदार हैं।बढ़ी हुई राशि पर अधिनिर्णय की वृद्धि की तिथि से उसके प्राप्त होने तक 6% की दर से ब्याज लगेगा। आक्षेपित अधिनिर्णय उपरोक्त सीमा तक संशोधित माना जाएगा तथा शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

17. रजिस्ट्री को यह भी निर्देश दिया जाता है कि वह न्यायाधिकरण द्वारा दिए गए अधिनिर्णय के विरुद्ध इस अपील में "बढ़ी हुई राशि" के बारे में लिखित रूप में दावेदारों को सूचित करे।उक्त पत्र व्यवहार हिंदी देवनागरी भाषा में किया जाना चाहिए तथा दावेदारों के निवास वाले संबंधित क्षेत्र के विधिक सहायता सचिव के समन्वय से अर्धन्यायिक कार्यकर्ताओं की सहायता ली जा सकती है।

सही/–

(संजय कुमार जयस्वाल)
न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः *हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु* ***निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।***

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur